तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

22/2/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थीगण का सही नाम आंची देवी पत्नी भोलूराम, पूरण पुत्र भोलूराम, अनिता पुत्री भोलूराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय प्रार्थीगण का गलत नाम अणची देवी पत्नी भोलूराम, छोटू पुत्र भोलूराम, मूली पुत्री भोलूराम दर्ज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच की प्रतियां पेश किये। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में तीजा पुत्री भोलूराम सैनी, जयराम पुत्र भोलूराम सैनी, शंकर पुत्र महादेव, गिरधारी पुत्र महादेव, संतोष पुत्री भोलूराम सैनी का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अणची देवी पत्नी भोलूराम, छोटू पुत्र भोलूराम, मूली पुत्री भोलूराम अंकित है। प्रार्थीगण का कथन कि प्रार्थीगण का नाम का सही नाम क्रमशः आंची देवी पत्नी भोलूराम, पूरण पुत्र भोलूराम, अनिता पुत्री भोलूराम है की पुष्टि प्रस्तुत राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच से होती है एवं तीजा पुत्री भोलूराम सैनी, जयराम पुत्र भोलूराम सैनी, शंकर पुत्र महादेव, गिरधारी पुत्र महादेव, संतोष पुत्री भोलूराम सैनी के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बंधावाला भोपालपुरा स्थित भूमि खाता [illegible]41 व 60 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में <u>अणची देवी पत्नी भोलूराम, छोटू पुत्र भोलूराम, मूली पुत्री भोलूराम</u> के स्थान पर <u>आंची देवी पत्नी भोलूराम, पूरण पुत्र भोलूराम, अनिता पुत्री भोलूराम</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:02 IST
Reason: SelfAttested